प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
जनपद गाजियाबाद, मुरादाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, प्रतापगढ, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर–खीरी, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, संतरविदास नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, अलीगढ, हाथरस।

पत्रांक 410 /प0–2/कामधेनु/मिनीकामधेनु योजना दिनांक : 30.3.15

महोदय,

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में क्रियाशील कामधेनु/मिनीकामधेनु डेयरी के फौटोग्राफ की प्रोफाइल तीन पृष्ठ का जिसमें प्रथम पृष्ठ पर लाभार्थी का परिचय, दूसरे पृष्ठ पर लाभार्थी की पूरी फोटो तथा तीसरे पृष्ठ पर लाभार्थी का फोटो जिसके बैक गाउण्ड में डेयरी के पशुओं एवं शेड का भी फोटो हो, बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया था। सभी जनपदों को दूरभाष पर तत्काल डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफी कर फोटो प्रोफाइल ई–मेल से भेजने का निर्देश दिया गया था तथा सैम्पिल के तौर पर एक जनपद की फोटोग्राफी सभी जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के मेल पर एवं विभागीय वेबसाइड पर उपलब्ध कराई गई थी। निदेशालय स्तर से इतना प्रयास करने के उपरान्त भी आपके जनपदों से या तो फोटोग्राफ भेजे नही है या फिर निर्धारित प्रोफार्मा पर अथवा स्पष्ट फोटो नही भेजे है, जिससे पूरे प्रदेश के क्रियाशील कामधेनु डेयरी के फौटोग्राफ पंचम तल भेजना संभव नही हो पा रहा है।

आपका यह कृत्य शासन द्वारा दिये गये कार्यो के प्रति उदासीनता का द्योतक है जिसके लिये आपको कठोर चेतावनी निर्गत करते हुये निर्देशित किया जाता कि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर यह अवगत कराये कि फोटोग्राफ न भेजने का कारण क्या है, अन्यथा आपके विरूद्व कड़ी कार्यवाही करने हेतु पत्र शासन को भेज दिया जायेगा।

भवदीय

(रूद्र प्रताप)
निदेशक